राजस्थान सरकार

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 193 अलवर, 2005–2006

यह प्रमाणित किया जाता है कि चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट

कोकापटी, लालकुन्ज अलवर जिला अलवर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के

अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक बाईस

माह दिसम्बर, दो हजार छः सन् 200 – 200 को अलवर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें

अलवर

# चिराग ह्यूमन डवलपमैन्ट सोसाइटी अलवर

## संघ विधान - पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम चिराग ह्यूमन डवलपमैन्ट सोसायटी अलवर है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 2 ज 13, काला कुँआ, अरावली विहार, अलवर-301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर, राजस्थान है।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. बच्चों का ठोस पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीनियर, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, मान्यता लेकर विद्यालय, महाविद्यालय, और अन्य संस्था प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबन्ध करना और रख-रखाव करना।

2. छात्रों को उच्च तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा मेडिकल शिक्षा हेतु मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा, डेन्टल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सालय, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरा मेडिकल एवं शिक्षा में बी.एड., एम.एड., बी.एस.टी.सी. विषयों के लिए विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।

3. टंकण, शीघ्रलिपि, कम्प्यूटर, पनहस्त आर्ट, शिल्प, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा और अन्य तकनिकी प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना।

4. जागरूकता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यानों, निबन्ध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और सेमीनारों द्वारा साक्षरता, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना।

5. छात्रों को सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, चेतन सामग्री, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल और अन्य संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना।

6. विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना।

7. ऐसी अन्य बातें / कार्य / क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हों और सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हो।

8. सोसाईटी की सम्पूर्ण कार्य, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियाँ केवल सोसाइटी के ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी।

9. सोसाइटी के अन्य कार्य के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, विकलांग लोगों की मदद करना एवं उनके रहने के लिए रैन बसेरा तैयार करना है।

10. सोसाइटी के अन्य कार्य के तहत प्राकृतिक आपदाओं के समय जन-सेवा करना है।

11. सोसाइटी राज्य सरकार / भारत सरकार व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोजित होने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के जनहित के कार्य करना है।

12. राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम जैसे साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा आयोजन, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, टीकाकरण, ग्रामीण व शहरी विकास से संबंधित बाल महिला विकास एवं राष्ट्रीय एकता विकास कर इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं को सरकार की ओर से संचालित करना।

13. सोसाइटी अपनी सहभागिनी अन्य कोई रजि० सोसाइटी को दान/अनुदान सेवार्थ दे सकती है।

14. ग्रामीण एवं शहरी जन समस्याओं जैसे पानी की समस्या, बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना, गरीबों हेतु नि:शुल्क दवा का वितरण करना, कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिलाना, अनाथों के लिए अनाथालय, विधवाओं के लिए विधवा आश्रम, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, बाल श्रमिकों व बंधुआ मजदूरों के पुर्नउत्थान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त सहायता एवं जन सहयोग से सेवा कर संचालित करना।

15. सोसाइटी के विधान (नियमावली) उद्देश्य के अतिरिक्त संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों की आपसी सहमति के उद्देश्यों का विस्तार किया जा सकता है।

अलका जैन

सरिता गुप्ता

4. संस्थान का कार्यभर संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है:-

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रूपचन्द जैन | रिटायर्ड अध्यापक | 2 ज 13 कालाकुआ हा० बोर्ड अलवर | अध्यक्ष |
| 2. | अंजना देवी | अध्यापिका | 15 मंगल विहार स्कीम नं. 5 अलवर | उपाध्यक्ष |
| 3. | अलका जैन | प्रा०स० | मुकेश नर्सरी भैरू बस्ती अलवर | मंत्री |
| 4. | विकास जैन | व्यापार | 5 क 203-4 शिवाजी पार्क अलवर | उप मंत्री |
| 5. | सरिता गुप्ता | गृहणी | 1/51 मेन रोड विवेकानन्द नगर अलवर | कोषाध्यक्ष |
| 6. | शकुंतला देवी | गृहणी | 66 स्कीम नं-2 अलवर | सदस्य |
| 7. | सुशील | प्रा०स० | 2 ज 13 कालाकुआ हा० बोर्ड अलवर | सदस्य |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Verified
R.C. Sharma

ATTESTED

NOTARY, ALWAR
16.12.08

अध्यक्ष | अलका जैन मंत्री | सरिता गुप्ता कोषाध्यक्ष

NOTARY
Banwari Lal Gupta
ALWAR
Reg. No. 217

................................................................ समिति/ सोसाइटी/संस्थान/संस्था

# संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम चिराग ह्यूमन डेवलपमेन्ट सोसाइटी, अलवर ...................................... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 2 ज 13 काला कुआ हा० बो० अलवर ...................................... है
   तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला - अलवर ...................................... क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्यः-

1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................
8. ......................................................................
9. ......................................................................
10. ......................................................................

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष　　　　मन्त्री　　　　कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :-

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम | व्यवसाय | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कपूर चन्द जैन S/o श्री बाला बक्श जैन | रिटायर्ड अध्यापक | (हाल 2 ज 13 हा. बो. अलवर) 2, मुकेश नर्सरी मालवीय नगर के सामने अलवर | [signature] |
| 2. | अलका जैन W/o पवन जैन | प्रा. सर्विस | मुकेश नर्सरी, शंकर बस्ती मालवीय नगर के सामने अलवर | अलका जैन |
| 3. | सावित्री जैन W/o हरीश चन्द जैन | गृहणी (अध्यापिका) | 5/176 काला कुआँ हा. बो. अलवर | सावित्री जैन |
| 4. | श्रीमती शकुंतला W/o श्री ओम प्रकाश | गृहणी | 66, स्कीम नं. 2 अलवर | शकुन्तला |
| 5. | श्रीमति अंजना देवी W/o मुकट बिहारी | अध्यापिका | 15 मंगल विहार स्कीम 5 अलवर | अंजना देवी |
| 6. | श्रीमती सरिता गुप्ता W/o मनोज कुमार गुप्ता | गृहणी | 1/51 मेन रोड़ विवेकानन्द नगर अलवर | सरिता गुप्ता |
| 7. | भाग चन्द गुप्ता S/o श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता | डॉक्टर | 15 मंगल विहार स्कीम नं. 5 अलवर | [signature] |
| 8. | विकास जैन S/o बिजेन्द्र जैन | व्यापार | 5 S 203-204 शिवाजी पार्क अलवर | [signature] |
| 9. | सुनीता जैन W/o सुनील जैन | प्रा. सर्विस | 2 J 13 अरावली विहार अलवर (हि. बो.) | सुनीता जैन |
| 10. | राजेश जैन S/o स्व. श्री पी. डी. के. जैन | एडवोकेट | 8/22 R.H.B. Housing Board Alwar. | [signature] |
| 11. | राजेश गुप्ता S/o श्री रमनलाल | डॉक्टर | 25, स्कीम नं. 3 अलवर | [signature] |
| 12. | प्रवीण जैन S/o श्री अशोक कुमार जैन | प्रा. सर्विस | 26 पंचवटी अलवर | [signature] |
| 13. | राजकुमार S/o मगनचन्द जैन | निजी व्यवसाय | ग्राम हिलोड़ी तह. राजगढ़ अलवर | [signature] |
| 14. | नारसीराम S/o बुधाराम | व्यापार | ग्राम -महाराजपुरा तह- अलवर | [signature] |
| 15. | वीरेन्द्र कुमार S/o महावीर प्रसाद | व्यापार | ग्राम -बारा भरकोल तह- राजगढ़ जिला - अलवर | वीरेन्द्र कुमार |

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी) (साक्षी)

Verified
R. Sharma

ATTESTED
NOTARY, ALWAR
16.12.08

1. हस्ताक्षर
(राजपत्रि अधिकारी)
मय मोहर

2. हस्ताक्षर
(राजपत्रि अधिकारी)
मय मोहर

अध्यक्ष — मंत्री (अलका जैन) — कोषाध्यक्ष (सरिता गुप्ता)

VERIFIED BY

Verified
R. Sharma

# चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर

पंजियन क्रमांक 193/2008-09

विधान नियमावली का तुलनात्मक विवरण

| विधान की धारा | पूर्व विधान | संशोधित विधान |
|---|---|---|
| 2.पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र | इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय 2 ज 13 काला कुआ अरावली विहार अलवर 301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र अलवर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा। | इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय 2 ज 13 काला कुआ अरावली विहार अलवर 301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश क्षेत्र तक सीमित होगा। |

अध्यक्ष        मंत्री        कोषाध्यक्ष

सूची फाईल की गई

दिनांक 17.12.13 रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर

# चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर

पंजियन क्रमांक 193/2008-09

कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

| पूर्व कार्यकारिणी | | | | | | वर्तमान कार्यकारिणी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम | पिता/पति का नाम | व्यवसाय | पता | पद | क्रम सं. | नाम | पिता/पति का नाम | व्यवसाय | पता | पद |
| श्री कपूरचन्द जैन | श्री बालबक्स जैन | सेवानिवृत अध्यापक | 2 ज 13 कालाकुआ अलवर | अध्यक्ष | 1. | श्री राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदी | श्री दामोदरलाल शर्मा | व्यापार | झण्डू का पूरा हिण्डोन सिटी जिला करोली | अध्यक्ष |
| श्रीमती अंजना देवी | श्री मुकुटबिहारी | अध्यापन | 15 मंगलविहार स्कीम 5 अलवर | उपाध्यक्ष | 2. | श्रीमती अंजना देवी | श्री मुकुटबिहारी | अध्यापन | 15 मंगलविहार स्कीम 5 अलवर | उपाध्यक्ष |
| श्रीमती अलका जैन | श्री पवन जैन | प्रा.नोकरी | मुकेश नर्सरी भैरु बस्ती मालवीय नगर अलवर | मंत्री | 3. | श्री महावीरसिंह हाडा | श्री लक्ष्मणसिंह हाडा | समाजसेवा | अस्पताल रोड वार्ड न. 1 बारां (राज.) | मंत्री |
| श्री विकास जैन | श्री विजेन्द्र जैन | व्यापार | 5क203 शिवाजी पार्क अलवर | उपमंत्री | 4. | श्री विकास जैन | श्री विजेन्द्र जैन | व्यापार | 5क203 शिवाजी पार्क अलवर | उपमंत्री |
| श्रीमती सरिता जैन | श्री मनोजकुमार जैन | गृहणी | 1/51 मैन रोड विवेकानन्द नगर अलवर | कोषाध्यक्ष | 5. | श्री सुरेन्द्रकुमार शर्मा | श्री भगवानप्रसाद शर्मा | व्यापार | फाटक रोड हिंडोन [illegible] जिला करोली | कोषाध्यक्ष |
| श्रीमती शकुन्तला देवी | श्री ओमप्रकाश | गृहणी | 66 स्कीम न. 2 अलवर | सदस्य | 6. | श्रीमती अलका जैन | श्री पवन जैन | प्रा.नोकरी | मुकेश नर्सरी भैरु बस्ती मालवीय नगर अलवर | सदस्य |
| श्रीमती सुनिता जैन | श्री सुनील जैन | गृहणी | 2 ज 13 [illegible] अलवर | सदस्य | 7. | श्री विनय जैन | श्री छोटेलाल जैन | व्यापार | नयारोड गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर | सदस्य |

सूची ... की गई
दिनांक 17-12-13
रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर

| अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष |
| चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसाइटी | चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसाइटी 2 ज 13 काला कुआ हा० बो० अलवर | चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर (राज०) |

# चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर

पंजियन क्रमांक 193/ 2008- 09

विधान संशोधन का तुलनात्मक विवरण

| विधान की धारा | पूर्व विधान | संशोधित विधान |
|---|---|---|
| 2.पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र | इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 2 ज 13 कालाकुआ अरावली विहार अलवर 301001 है तथा इसका राजस्थान प्रदेश क्षेत्र तक सीमित होगा। | इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय भगवान महावीर आई टी आई केसरपुर बुर्जाबाई पास राजगढ रोड अलवर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रदेश क्षेत्र तक सीमित होगा। |

अध्यक्ष
अध्यक्ष
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

अर्चना जैन
मंत्री
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

कोषाध्यक्ष
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

6/10/7/16

# चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी अलवर

पंजियन क्रमांक 193/2008-09

कार्यकारिणी का तुलनात्मक विवरण

| पूर्व कार्यकारिणी | | | | | | वर्तमान कार्यकारिणी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | नाम | पिता/ पति का नाम | व्यवसाय | पता | पद | क्रम सं. | नाम | पिता/पति का नाम | व्यवसाय | पता | पद |
| 1. | श्री राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदी | श्री दामोदरलाल शर्मा | व्यापार | झण्डू का पूरा हिण्डोन सिटी जिला करोली | अध्यक्ष | 1. | श्री राजेन्द्रकुमार चतुर्वेदी | श्री दामोदरलाल शर्मा | व्यापार | झण्डू का पूरा हिण्डोन सिटी जिला करोली | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती अंजना देवी | श्री मुकुटबिहारी | अध्यापन | 15 मंगलविहार स्कीम 5 अलवर | उपाध्यक्ष | 2. | श्रीमती अंजना देवी | श्री मुकुटबिहारी | अध्यापन | 15 मंगलविहार स्कीम 5 अलवर | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री महावीरसिंह हाडा | श्री लक्ष्मणसिंह हाडा | समाजसेवा | अस्पताल रोड वार्ड न. 1 बॉरा (राज.) | मंत्री | 3. | श्रीमती अर्चना जैन | श्री अरविन्द्र जैन | समाजसेवा | एफ 54मोहन नगर जैन मन्दिर के पीछे हिन्डोन | मंत्री |
| 4. | श्री विकास जैन | श्री बिजेन्द्र जैन | व्यापार | 5क203 शिवाजी पार्क अलवर | उपमंत्री | 4. | श्री विकास जैन | श्री बिजेन्द्र जैन | व्यापार | 5क203 शिवाजी पार्क अलवर | उपमंत्री |
| 5. | श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा | श्री भगवतीप्रसाद शर्मा | व्यापार | पाडला रोड टोडाभीम जिला करोली | कोषाध्यक्ष | 5. | श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा | श्री भगवतीप्रसाद शर्मा | व्यापार | पाडला रोड टोडाभीम जिला करोली | कोषाध्यक्ष |
| 6. | श्रीमती अल्का जैन | श्री पवन जैन | प्रा.नोकरी | मुकेश नर्सरी भैरू बस्ती मालवीय नगर अलवर | सदस्य | 6. | श्रीमती अल्का जैन | श्री पवन जैन | प्रा.नोकरी | मुकेश नर्सरी भैरू बस्ती मालवीय नगर अलवर | सदस्य |
| 7. | श्री विनय जैन | श्री छोटेलाल जैन | व्यापार | नयारोड गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर | सदस्य | 7. | श्री विनय जैन | श्री छोटेलाल जैन | व्यापार | नयारोड गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर | सदस्य |

अध्यक्ष
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

अर्चना जैन
मंत्री
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

कोषाध्यक्ष
चिराग ह्यूमन डवलपमेन्ट सोसायटी
भगवान महावीर I.T.I. केशरपुर
राजगढ़ रोड, अलवर (राज०)

सूची फाईल की गई
01/07/16

# चिराग-ए ह्यूमन डवलपमैन्ट सोसायटी

## विधान ( नियमावली )

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम चिराग ह्यूमन डवलपमैन्ट सोसायटी है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 2 ज 13, काला कुँआ, अरावली विहार, अलवर-301001 है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला अलवर, राजस्थान है।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

   1. बच्चों का ठोस पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीनियर, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से, मान्यता लेकर विद्यालय, महाविद्यालय, और अन्य संस्था प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रवन्ध करना और रख-रखाव करना।

   2. छात्रों को उच्च तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा मेडिकल शिक्षा हेतु मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा, डेन्टल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सालय, नर्सिंग कॉलेज एवं पेरा मेडिकल एवं शिक्षा में बी.एड., एम.एड., बी.एस.टी.सी. विषयों के लिए विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंध करना और रख-रखाव करना।

   3. टंकण, शीघ्रलिपि, कम्प्यूटर, पनइन आर्ट, शिल्प, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा और अन्य वृत्तिक प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना।

   4. जागरूकता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यानों, निबन्ध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और सेमीनारों द्वारा साक्षरता, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना।

   5. छात्रों को सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, चेतन सामग्री, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल और अन्य संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना।

   6. विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना।

   7. ऐसी अन्य बातें / कार्य / क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हों और सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हो।

   8. सोसाईटी की सम्पूर्ण कार्य, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियाँ केवल सोसाइटी के ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

9. सोसाइटी के अन्य कार्य के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, विकलांग लोगों की मदद करना एवं उनके रहने के लिए रैन बसेरा तैयार करना है।

10. सोसाइटी के अन्य कार्य के तहत प्राकृतिक आपदाओं के समय जन-सेवा करना है।

11. सोसाइटी राज्य सरकार / भारत सरकार व ~~अन्तर्राष्ट्रीय स्तर~~ पर प्रयोजित होने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के जनहित के कार्य करना है।

12. राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम जैसे साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा आयोजन, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, टीकाकरण, ग्रामीण व शहरी विकास से संबंधित बाल महिला विकास एवं राष्ट्रीय एकता विकास कर इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं को सरकार की ओर से संचालित करना।

13. सोसाइटी अपनी सहभागिनी अन्य कोई रजि० सोसाइटी को दान/अनुदान सेवार्थ दे सकती है।

14. ग्रामीण एवं शहरी जन समस्याओं जैसे पानी की समस्या, बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराना, गरीबों हेतु नि:शुल्क दवा का वितरण करना, कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिलाना, अनाथों के लिए अनाथालय, विधवाओं के लिए विधवा आश्रम, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, बाल श्रमिकों व बंधुआ मजदूरों के पुर्नउत्थान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त सहायता एवं जन सहयोग से सेवा कर संचालित करना।

15. सोसाइटी के विधान (नियमावली) उद्देश्य के अतिरिक्त संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों की आपसी सहमति के उद्देश्यों का विस्तार किया जा सकता है।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।

1. संरक्षक 2. विशिष्ठ
3. सम्माननीय 4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये।)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-

1. संरक्षक : राशि रु. 10,000 वार्षिक/~~आजन्म~~
2. विशिष्ठ : राशि रु. 5,000 वार्षिक/~~आजन्म~~

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

3. सम्माननीय : राशि रु. 2,000 वार्षिक

4. साधारण : राशि रु. 1,000 वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त वार्षिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकारी और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे।

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार कि कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10. साधारण सभा : बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री / अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष / मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्य इनमें से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

गठन — का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे

1. उपमंत्री – एक 2. अध्यक्ष – एक 3. उपाध्यक्ष – एक
4. मंत्री – एक 5. कोषाध्यक्ष – एक 6. सदस्य – दो

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहे तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पाँच पदाधिकारी व तीन सदस्य, कुल आठ सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का : निर्वाचन

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के : अधिकार और कर्त्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे:-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व उन्हें सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।
8. आवश्यकता होने पर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण आदि की व्यवस्था करना तथा इस प्रकार के ऋण आदि हेतु संस्था की सम्पत्ति रहन रखना।

14. कार्यकारिणी : की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक की कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त

अध्यक्ष — अलका जैन मन्त्री — सरिता गुप्ता कोषाध्यक्ष

प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

1. अध्यक्ष
   1-बैठकों को आहूत करना
   2-मत बराबर आने का निर्णायक मत देना
   3-बैठकें आहूत करना।
   4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्ष
   1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
   2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारी का उपयोग करना।

3. मन्त्री
   1-बैठकें आहूत करना।
   2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
   3-आय-व्यय का नियंत्रण करना।
   4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
   5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
   6-पत्र-व्यवहार करना।
   7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4. उप मन्त्री
   1-मंत्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्यों का संचालन करना
   2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5. कोषाध्यक्ष
   1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

| | | |
|---|---|---|
| [signature] | अलका जैन | सरिता गुप्ता |
| अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष |

2-दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।

3-चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था के कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2- अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकारी : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1. अध्यक्ष 10,000 रु. से ज्यादा
2. मन्त्री 10,000 रु. से ज्यादा
3. कोषाध्यक्ष 10,000 रु. तक

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं अलवर राजस्थान को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकारी होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **चिराग-ए ह्यूमन डवलपमैन्ट सोसायटी, अलवर (राजस्थान)** की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष